

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0-27 / 2015-16


राज्य बनाम विपीन जायसवाल


आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12.10.2018	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत वाद विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के पत्र सं0-948/अनु0 दिनांक-23.06.2015 के द्वारा संदर्भित पत्रकार नगर प्राथमिकी सं0 142/15 से दर्ज प्राथमिकी की छाया-प्रति एवं जप्ती-सूची प्राप्त हुआ। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्र में जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन के अनुशंसा के आलोक में दिनांक-31.07.2015 को उक्त वाद में आदेश पारित करते हुए विपक्षी (आरोपी) पर नोटिस किया गया। नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य हो तो दिनांक-09.10.2015 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की कंडिका-6 ए के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त समाग्रियों को राजसात (Confiscate) कर लिया जायेगा। दिनांक-09.10.2015 को विपक्षी की ओर से वकालतानाम सहित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। दिनांक 04.03.2016 से 12.10.2018 तक लगातार 17(सतरह) तिथियों पर विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित रहें है।</p> <p>दिनांक-12.10.2018 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त समाग्रियों को विनष्ट हो सकता है। इसे राजसात (Confiscate) कर लिया जाय।</p> <p>न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपी (विपक्षी) एक बार उपस्थित हुए एवं उसके बाद से लगातार अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में आरोपी (विपक्षी) के पास कोई साक्ष्य नहीं है एवं न कुछ कहना है।</p> <p>आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में</p>	

पत्रकार नगर थाना कांड सं० 142/15 में जप्त समाग्रियों को राजसात (Confiscate) किया जाता है।

विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन को आदेश दिया जाता है कि पत्रकार नगर प्राथमिकी सं० 142/15 में जप्त गैस सिलेण्डरों के गैस को सम्बन्धित गैस कम्पनी से बिक्री कराकर, घरेलू गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस सिलेण्डर के कम्पनी को हस्तगत करा कर पावना रसीद प्राप्त करे। अन्य समाग्रियों को भी बिक्री करा दें। बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान से जमा कराकर चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में रंगारित कर उक्त चालान की एक छाया-प्रति को स्व० हस्ताक्षर कर न्यायालय में अवश्य ही भेज देंगे। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

  
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।